न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बेगूँ

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम जज अदालत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़) मुकाम

बालू दास बनाम नवलराम वगै.

करम मुकदमा अ.धा. 212 RTA नं. 63/22 सन्

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23.1.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई प्रकरण मे वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार निवेदन किया है कि मौजा बानोड़ा की आराजी स. 869/435, 870/444 किता 2. कुल रकबा 0.4400 है. भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। दिनांक 6.10.2022 को विपक्षी गण ने अपने साथ बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी करके आराजी स. 870/444 रकबा 0.2000 है. भूमि मे जबरन बाहुबल के आधार पर पत्थर कोट हटाकर कब्जा करते हुए रास्ता बना दिया तो प्रार्थी को भारी अपूर्णिय क्षति होगी। अत: प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे विपक्षीगण और मोहन दास, नन्दा दास मुरलीदास नि. बानोडा का हक हिस्सा निहित होकर इनके विधिक वारिसान का मौके पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। व कब्जे के अभाव मे एंव वास्तविक पक्षकार के अभाव मे प्रार्थी का प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रकरण मे विपक्षी स. 8 ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रा.पत्र वर्णित आराजीयात पर जो पाथर कोट बना रखी है उसको नही हटाया गया है। एंव उक्त मार्ग वर्ष 2018 से पूर्व संचालित हो रहा था। उसी पर नयी सड़क का निर्माण किया गया है। प्रार्थी की भूमि पर कोई सड़क निर्माण नही किया गया है। व प्रार्थी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गाली गलोच व जान से मारने कि धमकी नही दी गई है। यदि प्रार्थी के साथ गाली गलोच या जान से मारने कि धमकी दि गई होती तो प्रार्थी	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारिख हुक्म	
	द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराई होती जो कि नही कराई गई। अत: प्रार्थी का प्रा-पत्र खारिज फरमाया जावे।
	प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया व प्रकरण का अवलोकन किया व प्रकरण मे प्रस्तुत [struck out] विपक्षी द्वारा प्रस्तुत फोटो ग्राफ को देखा गया। जिसमे पत्थर कोट बनी हुई है। व रास्ता डामर रोड़ बनी हुई है। व प्रार्थी ने विपक्षी गण के विरूद्ध सम्बन्धित थाने मे रिपोर्ट दर्ज करायी हो ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नही किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की भूमि पर विपक्षीगणों द्वारा पत्थर कोट को नही हटाई गयी है।
	अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ-धा 212 RTA का पत्रावली द्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	Sd/-